कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 108 / एसटीए / 2017 लखनऊ:दिनांक 23 जनवरी,2017

सेवा में,

1– अपर परिवहन आयुक्त (पूर्वी / मध्य / पश्चिमी), उत्तर प्रदेश।
2– समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
3– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
5– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0), उ0प्र0।
6– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उ0प्र0।
7– समस्त संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश।

कृपया डीजल चलित 10 वर्ष से अधिक पुराने तथा पेट्रोल चलित 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को एनसीआर क्षेत्र से एनओसी जारी किये जाने के सम्बन्ध में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 20.07.2016 के कम में इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या 2210एसटीए / 2016–11एसटीए / 2014 दिनांक 16 / 11 / 2016 तथा 2403 / एसटीए / 2016 दिनांक 20.12.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र दिनांक 20.12.2016 में बिजनौर एवं मथुरा त्रुटिवश अंकित हो गये हैं। पत्र दिनांक 16.11.2016 में 37 जनपदों की सूची भेजी गयी थी जहां के लिए एनओसी निर्गत की जा सकती थी परन्तु, इस सम्बन्ध में प्राप्त कतिपय आपत्तियों / सुझावों के दृष्टिगत प्रकरण के पुनर्विश्लेषण के उपरान्त संशोधन के बाद ऐसे 33 जनपद, जो निम्नवत हैं, चिन्हित किये गये हैं जहां के लिये डीजल चलित 10 वर्ष से अधिक पुराने तथा पेट्रोल चलित 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की एन0ओ0सी0 निर्गत की जा सकती है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इटावा	10	गाजीपुर	19	पीलीभीत	28	काशीरामनगर
2	संतकबीरनगर	11	मैनपुरी	20	शाहजहांपुर	29	महोबा
3	अम्बेडकरनगर	12	प्रतापगढ	21	लखीमपुर	30	ललितपुर
4	कुशीनगर	13	सिद्धार्थनगर	22	बदायुं	31	चित्रकूट
5	फर्रूखाबाद	14	महाराजगंज	23	बलरामपुर	32	हमीरपुर
6	जौनपुर	15	श्रावस्ती	24	हरदोई	33	अमेठी
7	कन्नौज	16	औरेया	25	बहराइच		
8	बलिया	17	सोनभद्र	26	उरई		
9	सुल्तानपुर	18	फतेहपुर	27	एटा		

इस प्रकार पत्र दिनांक 20.12.2016 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(के0 रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0– (1)एसटीए / 2017–समदिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– मुख्यालय के समस्त अधिकारियों (परिवहन आयुक्त को छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित।
2– डी0बी0ए0 मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अविलंब अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आर0के0मिश्र)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।